कार्यालय वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण सिवनी वनमण्डल

दूरभाष – 07692 – 220530 फैक्स 222989 म.उंपस कविजेमवदप/उचणहवआण्पद

क्र./मा.चि./2022/ 232 सिवनी, दिनांक : 27/ 01/2022

प्रति,

कलेक्टर
सिवनी जिला सिवनी

विषय :– सी.एम.जी.एस.वाय.योजना से स्वीकृत घंसौर–केदारपुर–से चरगांव–उमरडीह–बखारी ग्रेवल सडक निर्माण में प्रभावित वन भूमि 2.59 हे. के बदले राजस्व विभाग से प्रदत्त ग्राम खरसारू स्थित भूमि खसरा नं. 1/2 रकबा 5.04 हे. में से 2.59 हे. की वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना के संबंध में (खसरा नं. 1 के बटांकन 1/3, 1/4 एवं 1/5 खसरा क्रमांक 1/2 के पूर्वी भाग में संशोधन करने बाबद)

संदर्भ :– आपका राजस्व आदेश अनुवृत्ति पत्र 35/अ–/19(1) 20–21 दिनांक 11.01.2021 एवं इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/माचि/2409 दिनांक 20.11.2021

–::–

उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसमें राजस्व अनुवृत्ति पत्र 36/अ–19(1) 19–20 दिनांक 07.01.2019 से भसूडा नाला जलाशय में प्रभावित वन भूमि 22.00 हे. एवं तिन्सा जलाशय में प्रभावित वन भूमि 4.96 हे. के बदले तहसील केवलारी के ग्राम खरसारू स्थित भूमि खसरा नं. 1/2 रकबा 32.00 हे. में से 22.00 हे. तथा 4.96 हे. भूमि इस वनमण्डल को आबंटित की गई। आबंटन अनुसार खसरा नं. 1/2 रकबा 22.00 हे. में रोपण कार्य किया गया, खसरा नं. 1/4 रकबा 4.96 हे. में अभी रोपण कार्य नही किया गया है। पुनः आपके राजस्व अनुवृत्ति पत्र 35/अ–/19(1) 20–21 दिनांक 11.01.2021 से घंसौर, केदारपुर से चारगांव, उमरडीह बखारी ग्रेवल सडक निर्माण में प्रभावित वन भूमि 2.59 हे. के बदले ग्राम खरसारू तहसील केवलारी स्थित भूमि खसरा नं. 1/2 में से 2.59 हे. (बटांकन खसरा नं. 1/5) गैर वन भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना हेतु आबंटित की गई।

उक्त भूमि आबंटन उपरांत उप वनमण्डलाधिकारी केवलारी, संबंधित हल्का पटवारी, राजस्व निरीक्षक, एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग के उपयंत्री द्वारा संयुक्त मौका निरीक्षण करने पर पाया गया कि भसूडा नाला जलाशय में प्रभावित वन भूमि के बदले प्रदाय राजस्व भूमि 22.00 हे. में किया गया वृक्षारोपण खसरा नं. 1/2 के कुछ भाग व खसरा नं. 1/4, 1/3 एवं 1/5 में है। इस प्रकार वर्तमान में आबंटित खसरा नं. 1/5 वन विभाग के कब्जे में है।

राजस्व अभिलेख अनुसार प्रश्नाधीन प्रकरण घंसौर, केदारपुर से चारगांव, उमरडीह बखारी ग्रेवल सडक निर्माण में प्रभावित वन भूमि 2.59 हे. के बदले ग्राम खरसारू तहसील केवलारी स्थित भूमि खसरा नं. 1/2 के पश्चिमी भाग में ही खसरा का 1/3, 1/4 एवं 1/5 बटांकन कर खसरा नं. 1/5 रकबा 2.59 हे. वन विभाग को देना प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार बटांकन खसरा क्रमांक 1/3, 1/4 एवं 1/5 रोपित क्षेत्र के पूर्वी भाग में किया जाना चाहिए था जबकि पूर्व में रोपित क्षेत्र में यह बटांकन किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है।

अतः अनुरोध है कि खसरा नं. 1 के बटांकन 1/2, 1/3, 1/4 एवं 1/5 में संशोधन कर बटांकन खसरा नं. 1/3, 1/4 एवं 1/5 को खसरा नं. 1/2 (रोपण क्षेत्र) के पूर्वी भाग में करने हेतु संबंधितों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

वन संरक्षक एवं पेदन
वनमण्डलाधिकारी
दक्षिण सिवनी वनमण्डल

मा.चि.
वन मण्डल अधिकारी
उत्तर सिवनी (सा.) वनमण्डल
209
2.2.22

सिवनी, दिनांक : 27 /01/2022

पृ.क्र./मा.चि./2022/ 233

प्रतिलिपि :-

1. वनमण्डलाधिकारी उत्तर सिवनी वनमण्डल की ओर उनके पत्र क्रमांक/माचि/1195 दिनांक 06.08.2021 के तारतम्य में सूचनार्थ अग्रेषित कर लेख है कि उक्त प्रकरण में मौके पर एवं राजस्व अभिलेखों परिलक्षित विसंगती के निराकरण उपरांत ही वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना तैयार की जा सकती है।
2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) केवलारी की ओर इस कार्यालय के संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर लेख है कि उक्त प्रकरण में मौके पर एवं राजस्व अभिलेखों परिलक्षित विसंगती के निराकरण हेतु अभिलेखों में संशोधन कराने का कष्ट करें।
3. कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग सिवनी की ओर इस कार्यालय के संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर लेख है कि उक्त प्रकरण में मौके पर एवं राजस्व अभिलेखों परिलक्षित विसंगती के निराकरण में वन एवं राजस्व विभाग के आवश्यक हेतु अधिनस्थों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. उप वनमण्डलाधिकारी केवलारी की ओर इस कार्यालय के संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर लेख है कि उक्त प्रकरण में मौके पर एवं राजस्व अभिलेखों परिलक्षित विसंगती के निराकरण हेतु राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारी से संपर्क कर उक्त अभिलेख संशोधन की कार्यवाही पूर्ण कर भूमि वन विभाग के कब्जे में प्रापत वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना तैयार कर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
5. परिक्षेत्र अधिकारी केवलारी की ओर इस कार्यालय के संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर लेख है कि आप व्यक्तिगत रूचि लेक उक्त प्रकरण में मौके पर एवं राजस्व अभिलेखों परिलक्षित विसंगती के निराकरण हेतु राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारी से संपर्क कर उक्त अभिलेख संशोधन की कार्यवाही पूर्ण कर भूमि वन विभाग के कब्जे में प्रापत वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना तैयार कर उप वनमण्डलाधिकारी केवलारी के माध्यम से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वन संरक्षक एवं पदेन
वनमण्डलाधिकारी
दक्षिण सिवनी वनमण्डल

(3)